

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26684/2026**

गोपाल राजभर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

आवेदक के अधिवक्ता	: सुभाष चंद्र पटेल, विनोद शंकर
त्रिपाठी	
विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67**माननीय जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री विनोद शंकर त्रिपाठी, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री बी.पी. मौर्य और प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री सुनील दुबे जिसका आज दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया गया है, को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 93/2026, अंतर्गत धारा 137(2), 87, 65(1) बी.एन.एस. तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5एल/6, थाना-जंगीपुर, जनपद-गाजीपुर में, विचारण लंबित रहने के दौरान, आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है तथा धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयान के अवलोकन से, यह प्रतीत होता है कि वह सहमति देने वाली पक्षकार थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण के अनुसार पीड़िता की आयु 17 से 18 वर्ष पाई गई है और हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार उसकी आयु 14 वर्ष 04 माह है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता की चिकित्सकीय-विधिक रिपोर्ट उसके साथ बलात्कार किए जाने की घटना का समर्थन नहीं करती है। यह भी कहा गया है कि आवेदक 26.05.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक को जमानत प्रदान की जाती है, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और यह प्रस्तुत किया है कि हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता लगभग 14 वर्ष 04 माह की नाबालिग बालिका है तथा उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार, आवेदक द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता की लगभग 14 वर्ष की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने की बात कही गई है, तथापि, पीड़िता बरामद हो चुकी है और धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में उसने कहा है कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से घर से गई थी तथा उसने मुंबई के एक मंदिर में अपनी स्वतंत्र सहमति से आवेदक के साथ विवाह संबंध स्थापित किया था। रेडियोलॉजिकल परीक्षण के अनुसार पीड़िता की आयु 17 से 18 वर्ष पाई गई है और उसके हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार उसकी आयु 14 वर्ष 04 माह है तथा पीड़िता की मेडिको-लीगल रिपोर्ट उसके साथ बलात्कार किए जाने की घटना का समर्थन नहीं करती है। आवेदक 26.05.2026 से जेल में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता और जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों की भारी लंबितता होने के साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**, 2025 एससीसी ऑनलाइन एस सी 3038 में प्रतिवेदित, के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, 2024 एससीसी ऑनलाइन आल 6765 में प्रतिवेदित, के प्रकरण में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

7. तदनुसार, प्रस्तुत जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **गोपाल राजभर** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए: -

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़ छाड़ की जा सके।
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में पूरी निष्ठा से सहयोग करेगा।
- iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
- iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की दशा में यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. संबंधित न्यायालय, बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक एवं उसके जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास संबंधी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करेगा। आवेदक एवं जमानतदारों के मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड को संबंधित न्यायालय के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के द्वारा पालिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ़ बेल इन री: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 4/2021 दिनांक 31.01.2023 को निर्णित, (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित, में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, आवेदक को 24 घंटे के अंदर प्रेषित की जाए।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

अगस्त 14, 2026



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।